नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में देश के गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और भाजपा की सांसद कंगना रनौत भाग लेने के लिए पहुंचे.

संसद चलो मार्च में बवाल

50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली, 21 जुलाई. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हजारों प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के लिए निकले. राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और संसद मार्ग सहित कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर संसद की ओर बढ़े. पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से स्पष्ट किया कि संसद तक मार्च निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई समूह आगे बढ़ते रहे. इसके बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया. कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर रेल भवन चौराहे और संसद क्षेत्र के करीब तक पहुंच गए. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में सड़क खाली कराई. निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. पटेल चौक सहित अन्य इलाकों में भी पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. दिनभर चले घटनाक्रम के दौरान जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल खाली कराया गया और वहां लगे टेंट हटाए गए. बाद में कनॉट प्लेस क्षेत्र से भी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया.

प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना है. वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई के दौरान उसके 50 से अधिक जवान भी घायल हुए.

23 दिन भी वांगचुक ने अनशन जारी रखने का ऐलान

शिक्षाविद् एवं पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से सोमवार को एक हस्तलिखित पत्र जारी कर कहा कि शांतिपूर्ण संसद मार्च के दौरान युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता को देखते हुए वह अपना अनशन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक छात्र नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती या उन्हें अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती. अनशन के 23वें दिन जारी अपने संदेश में श्री वांगचुक ने लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, उसे देखकर मैंने अपना अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है.

वहीं लोकसभा के स्पीकर ओमबिरला ने कहा कि राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाये. उन्होंने कहा कि यदि उनकी सेहत से जुड़ी स्थिति उन्हें संसद के प्रस्तावित मार्च में शामिल होने से रोकती है, तो वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को अस्पताल में उनसे मिलना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि पहली दो मांगों पर कार्रवाई की जायेगी. अभिजीत दीपके ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मी की वजह से 20 से ज्यादा नीट अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है.

हाइट हाउस में ट्रम्प से मिलेंगे लेबनान के राष्ट्रपति

वाशिंगटन. लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे. इस दौरान वह ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के हथियार खत्म करने की योजना पेश करेंगे. साथ ही इज़रायल पर दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका से आग्रह करेंगे.

आज का इतिहास

1884 - कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थियेटर की शुरुआत हुयी.

1899 - अमेरिकी उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म

1947 - प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान का जन्म.

किराए से देना है

विजय टॉकीज चौराहा पर पहली मंजिल पर नाकोड़ा ज्वैलरी हाउस के ऊपर हाल किराए से देना है।

संपर्क करें

9424888080

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

-:निविदा सूचना:-

निविदा क्रमांक : -1/4233/2026-27 दिनांक 20/07/2026

विषय :- जनपद पंचायत खाचरौद जिला - उज्जैन (म. प्र.) (पुराने) जनपद एवं विकास खण्ड के प्रांगण में स्थित निम्न शासकीय भवनों के डिस्मेंटल (ध्वस्तीकरण) कार्य हेतु निविदा आमंत्रण बावत्। जनसाधारण एवं पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत खाचरौद जिला - उज्जैन (म. प्र.) प्रांगण में स्थित निम्न शासकीय भवनों के डिस्मेंटल (ध्वस्तीकरण) कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विवरण अग्रानुसार है -

1: कार्य का विवरण :- जनपद पंचायत खाचरौद पुराना परिसर एवं विकास खण्ड प्रांगण में स्थित शासकीय भवनो का डिस्मेंटल / ध्वस्तीकरण कार्य। 2. अनुमानित लागत :- रू 9,14,605/-। 3. निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (रू. पांच सौ मात्र)। 4. अमानत राशि (ईएमडी) रू 91460/- (रू. इकानबे हजार चार सौ साठ मात्र) 5. कार्य अवधि : 15 दिवस। 6. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29/07/2026 दोपहर 03.00 बजे तक। 7. निविदा खोलने की तिथि:- 30/07/2026 दोपहर 01.00 बजे ।स्थान : कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद 8. **निविदा के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज** -1. पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। 2. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र। 3. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति। 4. ई. एम. डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट / एफ. डी. आर। 5. निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद। **महत्वपूर्ण शर्तें :-** 1. निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत की जावे। 2. अपूर्ण अथवा विलंब से प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। 3. कार्य शासन / विभागीय नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। 4. डिस्मेंटल से प्राप्त सामग्री पर जनपद पंचायत खाचरौद का पूर्ण अधिकार रहेगा, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो। 5. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी या समस्त निविदाएं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरांत नियमानुसार अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(गिर्राज शर्मा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, खाचरोद

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRMD24016062 घनश्याम सिंह/ अमृत कुँवर चौहान	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा घर नंबर 39, क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट, पीएच 25, वार्ड नं.13, ग्राम-खेड़ी, पोस्ट-विशनिया, तहसील-सीतामऊ, जिला-मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश। सीमाएं:- पूर्वः भरतसिंह का घर, पश्चिमः श्रवणसिंह का घर, उत्तरः अपनी जमीन, दक्षिणः आम रास्ता।	30-दिसंबर-25/ रू. 10,91,732/- (दस लाख इनक्यानवे हजार सात सौ बत्तीस मात्र)	15-07-2026
1	UDRMD25020833 गोरधन सिंह/ मांगी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्से के रूप में: मकान नंबर 01, क्षेत्रफल 1104 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 02, पीएच नं. 11, आबादी सर्वे नंबर 660, गाँव-जग्गाखेड़ी, तहसील और ज़िला - मंदसौर-458002, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : सवाराम गुर्जर का घर, पश्चिम : सड़क उत्तर : सवाराम गुर्जर का घर, दक्षिण : धापू बाई का घर	05-मार्च-26/ रू. 9,54,406/- (नौ लाख चौवन हजार चार सौ छह मात्र)	15-07-2026

दिनांक : 21.07.2026, स्थानः मध्यप्रदेश — हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से

केन फिन होम्स लिमिटेड

CanFinHomes Ltd (Sponsor: CANARA BANK) HOME LOANS • DEPOSITS Translating Dreams into Reality

(CIN:L85110KA1987PLC008699)

पिथमपुर शाखा: जी-1, जीवन कॉम्प्लेक्स, महू-नीमच रोड, पिथमपुर, जिला धार (म.प्र.)
फोन नं.: 07292-252542, 76250 79242, e-mail: pithampur@canfinhomes.com

कब्जे की सूचना

नियम 8 (1)अचल संपत्ति केलिए

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 04.05.2026** (मांग सूचना जारी होने की तारीख) को एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ताओं **स्वर्गीय श्री हेमंत औचट पिता हुकुम औचट के सभी कानूनी उत्तराधिकारी श्री हुकुम औचट पिता श्री दगडू एवं श्रीमती तुलसी बाई पत्नी श्री हुकुम औचट, जिनका पता मकान नं. बी-227, श्रीनाथ टाउन कॉलोनी, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)** को सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 3,10,272 /- (रुपये तीन लाख दस हजार दो सौ बहत्तर मात्र)** को, उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर वसूली की तिथि तक संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 (सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **18 जुलाई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद् द्वारा संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **केन फिन होम्स लिमिटेड** द्वारा **रु. 3,10,272 /- (रुपये तीन लाख दस हजार दो सौ बहत्तर मात्र)** की राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं. बी-227, श्रीनाथ टाउन कॉलोनी, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.), **चर्तु:सीमा: पूर्व:** मकान नं. बी-214, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क, **उत्तर:** मकान नं. बी-228, **दक्षिण:** मकान नं. बी-226

हस्ता./-

स्थान : पिथमपुर, दिनांक : 21.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, कैन फिन होम्स लि.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072

मनावर शाखा: प्लॉट नंबर 70, प्रथम मंजिल, त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)

धार शाखा: प्लॉट नंबर 70, प्रथम मंजिल त्रिमूर्ति नगर, मेन रोड़, जिला धार - 454001 (मध्य प्रदेश)

रतलाम शाखा: ग्राउण्ड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 16700000072/ मनावर शाखा) मनोज कुमार श्रीवास्तव (ऋणी) पुष्पा श्रीवास्तव (सह-ऋणी) प्रमोद श्रीवास्तव (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 305/2 पंचायत रिकॉर्ड मकान नंबर 469/1, सीरियल नंबर 305/2 का भाग, ग्राम बाग स्थित, तहसील कुक्षी, जिला धार 454221 (मध्य प्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - सड़क, पश्चिम - सरकारी भूमि, उत्तर - विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण - विनोद की भूमि	06-11-2024 & ₹ 5,64,392/-	17-07-2026
2	(लोन कोड नं. 06800000148 एवं 06800000695 / धार शाखा) रामलाल बरफा (ऋणी) भानु बरफा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 13, पुराना 3/3, नया सेटलमेंट नंबर 438, तहसील मनावर, जिला धार 454446 (मध्य प्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - विक्रेता का शेष मकान, पश्चिम - गली, उत्तर - सार्वजनिक सड़क, दक्षिण - मनावर-बडवानी रोड	08-09-2023 & ₹ 8,46,266/-	17-07-2026
3	(लोन कोड नं. 02200001662/ रतलाम शाखा) रोहित चौहान (ऋणी) शारदा बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नं.05, मकान नं. 57, भगत सिंह मार्ग, वार्ड नं.06, पेटलावद, झाबुआ - 457773 (मध्य प्रदेश) **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - सड़क, पश्चिम - डॉ. राही का मकान, उत्तर - गली, फिर राठौड का मकान, दक्षिण - लीला बाई रामलाल भंडराई का मकान	08-04-2026 & ₹ 8,47,493/-	17-07-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 21-07-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक शाखाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्रं.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
	गोयल नगर शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 70499 19137		
1.	**1. मेसर्स कशिश इंटरप्राईजेस, प्रोप्राईटर कशिश जैन,** फ्लेट नं. 203, अपुर्व पेलेस, 38-39, मनभावन नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **2. श्री यश जैन पिता राजेश जैन,** महावीर नगर, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452018, **3. श्री यश जैन पिता राजेश जैन,** फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, रतनश्री अपार्टमेंट, प्लाट नं. 6, ब्रजेश्वरी एनेक्स, पिपलियाहाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **4. सुश्री कशिश जैन पिता राजेश जैन,** फ्लेट नं. 203, अपुर्व पेलेस, 38-39, मनभावन नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **5. सुश्री कशिश जैन पिता राजेश जैन,** फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, रतनश्री अपार्टमेंट, प्लाट नं. 6, ब्रजेश्वरी एनेक्स, पिपलियाहाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016	मांग सूचना दिनांक 20.07.2026 बकाया राशि (₹) **26,66,865.92** + दिनांक 27.06.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्च	फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, रतनश्री अपार्टमेंट, प्लाट नं. 6, ब्रजेश्वरी एनेक्स, पिपलियाहाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **क्षेत्रफल: 750 वर्गफीट (सुपर बिल्ट अप), मालिक: 1. श्रीमती कशिश जैन पिता राजेश जैन, 2. श्री यश जैन पिता राजेश जैन, चर्तु:सीमा: उत्तर:** अन्य का मकान, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 101, **पूर्व:** प्लाट नं. 7, **पश्चिम:** प्लाट नं. 5
	मांगलिया सड़क शाखा, इन्दौर, मोबाईल: 89899 93290		
2.	**1. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे,** 45, मंगल विहार कॉलोनी, ए.बी. रोड, मांगलिया, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **2. श्रीमती श्रृद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे,** 45, मंगल विहार कॉलोनी, ए.बी. रोड, मांगलिया, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **3. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे,** पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **4. श्रीमती श्रृद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे,** पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771	मांग सूचना दिनांक 10.07.2026 बकाया राशि (₹) **21,41,461.85** + दिनांक 09.07.2026 से ब्याज एवं अन्य खर्च	**चल संपत्ति:** ट्रक का दृष्टिबंधक: Vehicle Registration No: MP09 GH1669, Chassis No: MC2H2HRC0JC141603, Engine No: E424CDJC200491, Colour: Golden Brown, **मालिक: श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे** **अचल संपत्ति:** पैकी भाग क्रमांक 37, मंगल विहार कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 26/1 (पुराना) 71 (नया), राजस्व निरिक्षक मंडल 3, छिप्रा सर्वे नं. 295/2, मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, इन्दौर (म.प्र.) 453771, **क्षेत्रफल: 800 वर्गफीट, मालिक: 1. श्री कुनाल राव वागडे पिता विजय राव वागडे, 2. श्रीमती श्रृद्धा कुनाल वागडे पति श्री कुनाल राव वागडे, सीमाएं: उत्तर:** प्लाट नं. 36, **दक्षिण:** प्लाट नं. 38, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. 21

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। **(2)** आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 21.07.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर**

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

ड्रेनेज विभाग

निविदा सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक: 25 — **दिनांक: 15.07.2026**

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	1. टेंडर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_ 521674 15-07-2026	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 59 के अंतर्गत हरसिध्दी क्षेत्र में विश्व हिन्दु परिषद कार्यालय के आसपास ड्रेनेज लाईन डालना।	03 माह ₹9,65,269/-	₹2,000/- ₹9,700/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
02	2026_UAD_ 521675 15-07-2026	झोन क्र. 18 वार्ड क्र. 64 के अंतर्गत आचार्य देवकीनंदन जी के घर के सामने ड्रेनेज लाईन डालने बाबद।	03 माह ₹2,19,365/-	₹2,000/- ₹2,200/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
03	2026_UAD_ 521676 15-07-2026	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 67 के अंतर्गत स्थित जयरामपुर कॉलोनी गली न. 01, 02, 03 एवं निरंकारी चाट सेंटर की गली मे नवीन सीवर लाईन डालना। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹23,98,781/-	₹5,000/- ₹18,000/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
04	2026_UAD_ 521677 15-07-2026	झोन 04 वार्ड क 11 के अंतर्गत गणेश केबल से अजय गायकवाड जी के घर तक एवं आवश्यकतानुसार अन्य समीप गलियों में ड्रेनेज लाईन डालने का कार्य करना। (दशम बार निविदा आमंत्रण)	04 माह ₹17,33,267/-	₹2,000/- ₹13,000/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
05	2026_UAD_ 521678 15-07-2026	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 27 के अंतर्गत कारसदेव नगर चौराहे से कारसदेव नगर मुख्य मार्ग के दोनो ओर अनुदेशक नगर मेनरोड व वार्ड के अन्य स्थानों पर ड्रेनेज लाईन डालना। (द्वितीय बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹39,01,416/-	₹5,000/- ₹29,300/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
06	2026_UAD_ 521679 15-07-2026	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 14 के अंतर्गत सोमानी नगर गार्डन के पास 3 गलीयों में 300 एम. एम. की ड्रेनेज लाईन डालना। (तृतीय बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹36,37,931/-	₹5,000/- ₹27,300/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
07	2026_UAD_ 521680 15-07-2026	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 69 के अंतर्गत स्थित समाजवाद नगर की विभिन्न गलियों में ड्रेनेज लाईन डालने बाबद। (पंचम बार निविदा आमंत्रण)	08 माह ₹79,02,919/-	₹10,000/- ₹59,300/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
08	2026_UAD_ 521681 15-07-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 11 भागीरथपुरा में मामाजी धर्मशाला के पीछे वाली बेकलेन में एवं समीप गलियों में ध्वस्त ड्रेनेज लाईन बदलना। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	08 माह ₹13,47,621/-	₹2,000/- ₹10,200/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
09	2026_UAD_ 521682 15-07-2026	झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 74 के अंतर्गत 315/2 पिपल्याराव से केलु के ढाबा रिंग रोड तक एवं आंतरिक गलियों में क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नवीन ड्रेनेज लाईन डालने बाबद। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹47,70,769/-	₹5,000/- ₹35,800/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
10	2026_UAD_ 521683 15-07-2026	झोन क्र. 03 वार्ड क्र. 56 के अंतर्गत नाना महाराज गली स्नेहलता गंज में क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नवीन ड्रेनेज लाईन डालना। (तृतीय बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹20,42,162/-	₹5,000/- ₹15,400/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
11	2026_UAD_ 521684 15-07-2026	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत अर्जुन सिंह गोहर नगर में म.नं. 55 से 85 के सामने ड्रेनेज लाईन डालने बाबद। (तृतीय बार निविदा आमंत्रण)	04 माह ₹19,07,512/-	₹2,000/- ₹14,400/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
12	2026_UAD_ 521685 15-07-2026	झोन क्र. 02 वार्ड क्र. 67 में स्थित छत्रीबाग मेन रोड पर सत्यनारायण मंदिर के सामने एवं आडी गली में नई ड्रेनेज लाईन डालने बाबद। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹24,94,459/-	₹5,000/- ₹18,800/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
13	2026_UAD_ 521686 15-07-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अंतर्गत सुन्दर नगर चौराहे से सेक्टर ए तौल कॉटा 40 फीट मेन रोड पर ड्रेनेज लाईन डालने का कार्य करना। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹33,07,268/-	₹5,000/- ₹24,900/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
14	2026_UAD_ 521687 15-07-2026	झोन क्र. 21 वार्ड क्र. 80 के अंतर्गत आने वाले राजेन्द्र नगर मेनरोड़ पर स्थित दुकानों के पीछे रेल्वे स्टेशन के पास क्षतिगस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नई ड्रेनेज लाईन डालने बाबद। (तृतीय बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹23,59,240/-	₹5,000/- ₹17,700/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
15	2026_UAD_ 521698 15-07-2026	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 45 के अंतर्गत लाला का बगीचा स्थित नई ड्रेनेज लाईन डालना क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाईन हटाकर। (तृतीय बार निविदा आमंत्रण)	06 माह ₹35,06,827/-	₹5,000/- ₹26,400/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026
16	2026_UAD_ 521706 15-07-2026	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 62 के अंतर्गत लुनियापुरा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त व ध्वस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नई सीवर लाईन डालने बाबद। (सप्तम बार निविदा आमंत्रण)	04 माह ₹19,58,262/-	₹2,000/- ₹14,700/-	29-07-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 30-07-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
ड्रेनेज विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर